भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2148 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलयान चालक दल नियम 2022

†2148. श्री शफी परम्बिल:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्देशीय जलयान चालक दल नियम 2022 के अंतर्गत वृहत प्रशिक्षण सामान्यतः पर्यटन उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले छोटे हाउसबोट के चालकों पर लागू होता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार केरल में छोटे हाउसबोट चालकों की आजीविका पर अनिवार्य प्रशिक्षण नियमों के कारण उत्पन्न बाधाओं से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे हाउसबोट चालकों के लिए विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण को शामिल कर अंतर्देशीय जलयान चालक दल नियम 2022 में संशोधन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 34 और इसके तहत बनाए गए अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण भारत में अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में संचालित यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के लिए चालक दल के प्रशिक्षण, अर्हता और प्रमाणन की आवश्यकताएं प्रदान की गई हैं।

(ख) से (घ): हितधारकों, समुद्री बोर्डों, केरल के प्रतिनिधियों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्देशीय जल परिवहन विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद, इन दो श्रेणियों के जलयानो के लिए प्लेज़र क्राफ्ट और नहर क्रूज नौकाओं (हाउसबोट) नियम मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*****